न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्र.सं. : 60/2023
जी.सी.एम.एस. : 2023/154

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. श्यामलाल शर्मा पुत्र पुखराज शर्मा 2. सुशीला देवी पत्नी श्यामलाल शर्मा के कायम मुकाम 2.1. किशन शर्मा पुत्र श्याम लाल शर्मा 2.2. प्रहलाद पुत्र श्यामलाल शर्मा 2.3. मनीष शर्मा पुत्र श्यामलाल शर्मा तमाम जातिगण ब्राह्मण निवासीगण गुन्दोज तहसील पाली जिला पाली		1. भारत संघ जरिये परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मानपुरा भाकरी रोड़ सर्किट हाउस के पास टैगोर नगर पाली 2. भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली 3. प्रबंधक, कार्यालय लार्सन एवं ट्रबो प्राईवेट लिमिटेड एन एच 14 जाडन तहसील व जिला पाली (राज.)

अन्तर्गत धारा 3 G (V) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित :– प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित
अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह राजपुरोहित

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30.10.2024

उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायालय के प्रकरण संख्या 18/2017 में पारित आदेश दिनांक 02.02.2023 के प्रति–प्रेषण आदेशों के क्रम में दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित, भैराराम परिहार उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित उपस्थित हुए।

प्रकरण के संबंध में संक्षेप तथ्य यह है कि प्रार्थीगण के एन एच 14 गुन्दोज बस स्टेण्ड पर दुकाने है जिसके निर्माण के मुआवजे बाबत् 171 एलएचएस के तहत मुआवजा तथा वास्तविकता से कम तय किया गया है। प्रार्थीगण की दो दुकाने बनी हुई है जिसमें उच्च गुणवता का निर्माण कार्य किया हुआ है। भूमि अवाप्ति अधिकारी के द्वारा मुआवजा तय करते समय निर्माण की गुणवता का वर्णन नहीं किया है। मुआवजा पी.डब्ल्यू. डी. के परिपत्र x-3-2006 & BSR 2009 के अनुसार तय किया गया है जो सही नही है जबकि मुआवजा B.S.R. 2011 व B.S.R. 2012 के तहत दिया जाना था एवं मुआवजा बाजार मूल्य से दिया जाना चाहिए था जो नहीं दिया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उचित मुआवजा दिलाये जाने का आदेश फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र में कथन झूठे व मनगढन्त है। प्रार्थीगण की संरचना का मुआवजा विधि के

Scanned with ACE Scanner

प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है तथा निर्धारित राशि के अतिरिक्त कोई अन्य अनुतोष प्राप्त करने के प्रार्थीगण अधिकारी नहीं है। जो मुआवजा तय किया गया है वह पी.डब्ल्यू. डी. के परिपत्र x-3-2006 & BSR 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत तय किया गया है जो भूमि अवाप्ति के मूल्यांकन के लागू प्रावधान के अनुसार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र सारहीन होने से खारिज फरमावे।

प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में न्यायालय हाजा के विविध प्रकरण संख्या 26/2013 में दिनांक 02.06.2016 द्वारा धारा 3 जी (5) एन एच ए आई एक्ट 1956 के तहत माध्यस्थम के रूप में अपना आदेश पारित करते हुए उक्त प्रकरण को खारिज कर दिया था। जिसकी अपील माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश पाली में किये जाने पर प्रकरण संख्या 18/2017 में आदेश दिनांक 02.02.2023 में यह प्रेक्षण किया गया है कि धारा 3 जी (7) के अनुसार मुआवजा बाजार दर पर दिलाये जाने का प्रावधान है जिन्हे धारा 3 जी (7) में निर्णीत किया गया है तथा माध्यस्थम द्वारा उक्त प्रावधान के अनुरूप निर्णय नहीं किये जाने का प्रेक्षण करते हुए प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर का अवसर देते हुए निर्णीत करते हुए प्रकरण पुनः इस न्यायालय को प्रति–प्रेषित किया है। उक्त प्रति–प्रेषण आदेशों के क्रम में यह पत्रावली पुनः न्यायालय हाजा में प्रकरण संख्या 60/2023 के रूप में दर्ज हुई तथा दर्ज होने के बाद अधिवक्ता आवेदक को सुना गया एवं पत्रावली के रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि धारा 3 जी (7) में यह प्रावधान किया गया है कि प्राधिकृत अधिकारी अथवा माध्यस्थम भूमि के मुआवजे का निर्धारण अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3 ए के प्रकाशन की दिनांक को प्रचलित बाजार मुल्य के अनुसार निर्धारण करेंगे। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में माध्यस्थम के रूप में पूर्व में किये गये विवेचन में भूमि का मुआवजा बाजार दर से निर्धारण किये जाने के लिए जो डीएलसी दर को आधार बनाकर मुआवजा निर्धारित किया गया है उसे नहीं मानकर अपने आवेदन के बिन्दु संख्या 16 में वर्णितानुसार आधारों पर मुआवजा निर्धारण का वर्णन किया है जो धारा संबंधित भूमि अवाप्ति अधिनियम 1956 में वर्णित नहीं है। मुआवजे का निर्धारण डी एल सी दर पर किये जाने का ही विवेचन है अर्थात् नियमों में अन्य किस प्रकार से भूमि की कीमत का निर्धारण किया जा सकता है, इस बाबत् विवेचन है परन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई भी नियमानुसार धारा नहीं बताई है जिससे उसके द्वारा कथित दरों को संबंधित अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप माना जा सके। अतएव प्राधिकृत अधिकारी द्वारा डी एल सी दरों के आधार पर जिस मुआवजे का भुगतान किया है उसे अमान्य किया जाने का कोई आधार नहीं है एवं जहां तक जैर आराजी पर किये गये निर्माण का प्रश्न है इस बाबत् माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा भी कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिया गया है एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्माण के मुआवजे बाबत् जो निर्देश दिया गया उसे विधि संगत नहीं माने जाने का भी कोई आधार नहीं है। तद्नुसार माननीय अपीलीय न्यायालय के प्रेक्षणों के अनुरूप यह माध्यस्थम प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तय किये गये मुआवजे में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते।

निर्णय आज दिनांक **30.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner